न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 190/2008 (2008/00025)

अनवान

1. ओमप्रकाश पिता मदनलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
2. श्रीमती कान्ता पिता मदनलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पिता दलीचन्द ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
2. किशन लाल पिता मदन लाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
1. श्रीमती सुमित्रा पुत्री मदनलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
2. रमेश पिता बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
3. शांतिलाल पिता बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
4. सुधीर पिता बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
5. सीता देवी पुत्री बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
6. सुशीला पुत्री बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
7. सुमित्रा पुत्री बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
8. लीला देवी पत्नी बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
9. धापु बाई पुत्री दलीचन्द ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ मृतक के बजाए :—

11/1. श्यामलाल पिता मोहनलाल शर्मा नि.आकाशवाणी रोड, गांधीनगर

11/2. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल शर्मा नि.आकशवाणी रोड, गांधीनगर

10. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ
11. श्री सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—53—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता वादीगण

श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11/1 व 11/2

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 06.04.2026

निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88–53–188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नेतावलगढ पाछली की खतौनी संख्या 135 व 25 मे दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात जिसका विवरण निम्नानुसार है खतौनी संख्या 225 मे वर्णित आराजीयात 216, 217, 218, 221 कुल किता 04 कुल रकबा 2.66 हे. एंव खतौनी संख्या 135 मे वर्णित आराजी नं 222, 225, 226 कुल किता 03 कुल रकबा 2.28 हे. स्थित है।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 से लगायत 11 के सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि आराजीयात मौजा ग्राम नेतावलगढ़ पाछली पटवार क्षेत्र नेतावलगढ़ पाछली तहसील चितौडगढ़ की साबिक आराजी नम्बर- 36/1ख रकबा 10 बीघा भूमि जो स्वर्गीय दलीचन्द जी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो स्वर्गीय श्री दलीचन्द जी के नाम पर दर्ज हुयी व दलीचन्द जी की मृत्यु के पश्चात दलीचन्द जी के वैध वारिसान मोहनलाल, कन्हैयालाल, बंशीलाल, मदनलाल, धापूबाई के नाम पर दर्ज हुयी। मोहनलाल लाऔलाद फौत हो जाने से मोहनलाल का हक हिस्सा कन्हैयालाल, बंशीलाल व मदनलाल धापू बाई के नाम पर दर्ज है। जबकि धापूबाई स्वर्गीय दलीचन्द जी की विवाहिता पुत्री है जो अपने ससुराल रहती है। जिसका विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, तत्पश्चात भी प्रतिवादीसं० एक ने धापूबाई का नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया व कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात कन्हैयालाल की विरासत कन्हैयालाल की विवाहिता पत्नि नन्दुबाई के नाम पर दर्ज हुयी व नन्दुबाई ने अपना हक हिस्सा जरिये वसियत नामा वादीसं० एक पुत्र सुरेश उर्फ टिंकू को दिनांक 14-7-97 को की गयी व नन्दुबाई वादी के साथ ही निवास करती चली आ रही थी। वादी व वादी की पत्नि ही श्रीमति नन्दुबाई की सेवा चाकरी करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीसं० एक ने नन्दुबाई की वृद्धावस्था व नासमझ का नाजायज फायदा उठाने की नियत से स्वर्गीय नन्दुबाई

(दीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

से दिनाक 23-1-2002 को वसियत नामा निष्पादित करा स्वर्गीय नन्दुबाई का हक हिस्सा अपने नाम पर दर्ज करवा लिया उक्त नामान्तकरण वादी के हक हिता के मुकाबले में निष्प्रभावी व शून्य है व इसी अनुसार धापू बाई स्वर्गीय दलीचन्द की विवाहित पुत्री है, जो स्वर्गीय दलीचन्द के जीवन काल से ही अपने ससुराल रहती थी, जिससे स्वर्गीय धापु बाई का विवादित आराजीयात में आ0न0 222, 225, व 226 कुल किता- 3 कुल रकबा 2.28 हेक्टर में धापू बाई का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं था। फिर भी प्रतिवादीसं० एक ने श्रीमती धापूबाई गलत इन्द्राज के आधार पर बहला फुसला कर विवादित आराजीयात जरिये हक परित्याग विलेख दिनाक 11-8-2007 को हक परित्याग विलखे प्रतिवादीसं० एक ने अपने नाम करवा लिया व उक्त हक परित्याग विलेख के आधार पर आराजी नम्बर-222 ,225 ,226 कुल किता 3 कुल रकबा 2.28 हेक्टर अपने नाम पर दर्ज करवा प्रतिवादी सं० दो को बिना किसी प्रतिफल के जरिये तथाकथित रजिस्टर्ड बहनामे के दिंनाक- 26-7-2008 व इससे पूर्व जरिये तथाकथित रजिस्टर्ड बहनामा दिनाक 8-10-2007 अलग अलग तथाकथित बहनामे से प्रतिवादीसं० दो को हस्तान्तरित कर दी। इसी प्रकार वादीगण के स्वर्गीय दादा दलीचन्द को तत्कालीन जागीरदार से मौजा ग्राम नेतावल गढ पाछली की खतौनी सं० 225 में दर्ज आराजी नम्बर- 216, 217, 218, 221 कुल किता- चार कुल रकबा 2.66 हेक्टर भूमि जो तत्कालीन जागीरदार से संवत 2011 से पटटे पर प्राप्त हुयी, तभी से स्वर्गीय दलीचन्द जी विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे जो गलत रूप से नारू पिता गमेरा, बगदीराम, अमरा, रोडा, पिता नंगा, दीपा पिता गमेरा होकमा पिता गमेरा के नाम पर दर्ज हो गयी। जिसके इन्द्राज दुरस्ती का वादपत्र प्रतिवादीसं० एक की ओर से प्रस्तुत किया जो प्रकरण सं० 102/2000 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिंनाक 30-5-2003 को आपसी राजीनामे से डिकी किया जाकर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीसं० 1 से लगायत 10 के नाम पर दर्ज किया गया। जिसमें से प्रतिवादीसं० एक ने अपना हक हिस्सा दर्ज करा विवादित आराजीयात तथाकथित बहनामा दिनाक 26-7-2008 को प्रतिवादीसं० दो के नाम पर हस्तान्तरित कर दी। उक्त तथाकथित बहनामा वादीगण के हक हकूको के मुकाबले मे निष्प्रभावी होकर वादीगण मौजा नेतावलगढ़ पाछली की खतौनी सं० 135 मे दर्ज आराजीयात नम्बर- 222 रकबा 1.43 हेक्टर, आ०न 225 रकबा 0.05 हे०, आ०न०- 226 रकबा 0.80 हेक्टर कुल किता तीन कुल रकबा 2.28 हेक्टर व मौजा नेतावलगढ़ पाछली की खतौनी सं० 225 संवत 2063-2066 मे दर्ज आराजीयात नम्बर- 216 रकबा 0.16 हेक्टर, आ०न. 217 रकबा 0.31 हे०, आ०न०- 218 रकबा 0.94 हेक्टर आराजी नम्बर- 221 रकबा 1.25 हेक्टर भूमि में से वादीगण प्रत्येक 1/10 - 1/10 व प्रतिवादीसं० 1 1/10-1/10 व प्रतिवादी सं० 4 से लगायत 10 तक का सयुक्त 1/2 हक हिस्सा घोषित करवाये जाने व प्रतिवादी सं० 11 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने के अधिकारी होने से वादपत्र घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने का अधिकारी होने से वादपत्र घोषणात्मक डिकी पेश है। विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 10 की पैतृक कृषि आराजीयात है। वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 व 10 अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तत्पश्चात भी प्रतिवादी सं० एक ने बिना किसी अधिकार के व कब्जे के श्रीमति धापूबाई का नाम दर्ज होने से धापूबाई से हक त्याग विलेख निष्पादित करवा अपने नाम दर्ज करवा ली व अलग अलग तथाकथित रजिस्टर्ड बहनामा से प्रतिवादी सं० एक ने वादीगण को अपने हक हिस्से से महरूम करने की नियत से नन्दुबाई का हक हिस्सा भी अवैधानिक वसियत नामे के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करवा प्रतिवादीसं० 2 को अलग अलग तथाकथित बिना प्रतिफल के बहनामे से प्रतिवादीसं दो को हस्तान्तरित कर दी जो वादीगण के हक अधिकारों के मुकाबले में

Scanned with OKEN Scanner

निष्प्रभावी होकर वादीगण विवादित आराजीयात में 1/10 हक हिस्सा की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादपत्र घोषणात्मक डिकी व इन्द्राज दुरस्ती पेश है। विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीसं० 1 से लगायत 10 की पैतृक कृषि आराजीयात है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से लगायत 3 का 1/10-1/10 व प्रतिवादीसं० 4 से 10 का सयुक्त 1/2 हक हिस्सा निहीत है उसी अनुसार वादीगण अपना हक हिस्सा पैतृक आराजीयात के आधार पर घोषित करा विवादित आराजीयात का हक हिस्से अनुसार बाई मिन्टस एण्ड बाउण्टस बंटवाडा कराये जाने का अधिकारी होने से वादपत्र बंटवाडा आराजीयात पेश है। विवादित आराजीयात प्रतिवादीसं० 1 व प्रतिवादी सं० 4 से 10 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है परन्तु विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है। जिसमें वादीगण का हक हिस्सा निहीत है। फिर भी विवादित प्रतिवादीसं० एक ने प्रतिवादीस० दो को तथाकथित अवैधानिक अलग अलग बहनामे से हस्तान्तरित कर दी जो वादीगण के अधिकारों के मुकाबले में शून्य एंव निष्प्रभावी है ।

अन्त मे वाद पत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 02 मे अंकित खतौनी संख्या 135 व 125 म वर्णित आराजीयात मे वादीगण प्रत्येक का 1/10 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/10 व प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 10 का सयुंक्त 1/2 हक हिस्से की घोषणा एंव वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 के मध्य हक हिस्से अनुसार बटंवाडा कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग अलग दर्ज कराये जाने एंव विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस मय वाद पत्र की नकल तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 01 से 03 , 11 की ओर से अधिवक्ता अषोक राजौरा ने अधिकार पत्र पेष कर उपस्थिति दर्ज करवाई । प्रतिवादी संख्या 04 से 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेष दिए गए। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 11 की तरफ से जवाब दावा इस

(भानू [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आषय का पेश किया कि वाद पत्र में गलत तथ्य अंकित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 11 का संयुक्त हिन्दु परिवार हो। विगत 50 वर्षों से सभी अलग अलग रह रहे है। कोई संयुक्त हिन्दु परिवार होना स्वीकार नही है। सजरा परिवार गलत दिया हुआ है। स्वर्गीय वंशीलाल के पुत्र सुभाष उम्र 37 वर्ष निवासी किला चित्तौडगढ़ को सजरे मे नही दर्शाया गया है दावा आवश्यक पक्षकार सुभाष के अभाव में चलने योग्य नही है। कोई संयुक्त परिवार की पैतृक आराजीयात स्थित नही है। स्वर्गीय दलीचन्द्र जी के नाम कोई जमीन नही थी बल्कि मोहनलाल कन्हैयालाल बंशीलाल मदनलाल चारो भाईयो की जमीन थी एव मोहनलाल की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा कन्हैयालाल बंशीलाल मदनलाल व धापुबाई के नाम दर्ज हुआ। मोहनलाल जी की मृत्यु के बाद धापुबाई का नाम खाते में दर्ज अवश्य हुआ परन्तु धापुबाई मोहनलाल की वारीस की श्रेणी में भी आती थी। फिर भी धापुबाई बहन होने के कारण उसका नाम खाते में आ जाने के बावजुद कोई विरोध नही किया गया। धापूबाई ने उनका सारा हक मदनलाल जी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। यह सही है कि कन्हैयालाल जी मृत्यु के पश्चात जायदाद उनकी पत्नि नन्दुबाई के नाम पर दर्ज हुई। परन्तु यह सरासर गलत है कि नन्दुबाई ने अपना हक हिस्सा सुरेश उर्फ टिन्कु को 14.07.97 को वसीयत की हो। यह भी गलत है कि वादी एवं वादी की पत्नि ने नन्दुबाई को अपने साथ रखकर सेवा चाकरी की हो। नन्दुबाई की वृद्धावस्था का कोई फायदा प्रतिवादी न. 1 ने नहीं उठाया है। नन्दुबाई कभी नासमझ नही रही। नन्दुबाई ने नियमानुसार सही होश हवास व तन्दुरूस्त हालत में वसीयतनामा दिनांक 23.01.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के हक मे निष्पादीत व प्रमाणीत करवाया। नियमानुसार नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के नाम रदोबदल हुआ हैं। वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है। कोई नामान्तरण निष्प्रभावी नही है। धापुबाई को किसी ने बहलाया फूसलाया नहीं

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

है उन्होने हक परित्याग विलेख दिनांक 11.08.07 को निष्पादीत करवा पंजीकृत करावा दिया तथा नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल ने विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीकृत करवा दिये है। प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल खातेदार होकर काबीज आराजीयात है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ईन्द्राज दुरूस्ती का दावा करना स्वीकार है। नियमानुसार विकय पत्र निष्पादित होकर पंजीकृत हुए है। इस कलम मे वादीगण ने जो हक हिस्सा स्वयं का लिखा है वो गलत है। वादीगण को कोई हक हिस्सा घोषित कराये जाने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का कोई हक हिस्सा भी नही है। वादीगण का कोई कब्जा भी नहीं हैं। और वादीगण सह काश्तकार भी नहीं है। वादीगण खातेदार काश्तकार भी नही है। वादीगण का कोई 1/10 हिस्सा विवादीत आराजीयात नहीं है। वादीगण को कोई बटवाडा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण की कोई पैतृक आराजीयात नहीं है। विकय पत्र प्रभावशील है। कोई शुन्य व निष्प्रभावी विकय पत्र नही है। बल्कि विकय पत्र विधिनुरूप होकर कभी के प्रभाव में आ चुके है। वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल व 2 किशनलाल खातेदार काश्तकार है और खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल को विकय पत्र निष्पादीत करा कब्जा सिपुर्द कर दिया है। और जिस पर प्रतिवादी नं 2 किशनलाल काबीज होकर काश्त कर रहा है।

हक त्यागपत्र एवं विक्रयपत्र को तथा वसीयतनामे को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है और इस कारण यह दावा राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होकर सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार का वादीगण के कथनो अनुसार बनता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल ने प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल से विक्रय पत्र में अर्जित पूर्व प्रतिफल प्राप्त कर अपने अधिकार खातेदारी की भुमि को प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल को विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीयन करा कब्जा सिपूर्द किया है। वादीगण कोई हक हिस्से की घोषणा इस दावे के जरिये दावे में वर्णित अनुसार नही करा सकते। और न ही वादीगण को बटवाडा कराने का अधिकार है कोई स्थाई निषेधाज्ञा भी वादीगण पाने के अधिकारी नही है। वादीगण का दावा आधारहीन होने से मय हर्जे खर्चे खारीज कराये जाने योग्य होकर खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया ।

इसी तहर प्रतिवादी संख्या 11 का जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि वाद में वर्णित परिवार का सजरा सही अंक्ति किया है किंतु बंशीलाल के एक वारिस सुभाषचंद्र का नाम अंकित नहीं है। विवादित आराजीयात मूलपुरुष दलीचंद के नाम पर खातेदारी की दर्ज होना सही अंकित किया है प्रतिवादी संख्या ।। धापूबाई स्व. दलीचंद की पुत्री होकर वैधानिक वारिस है जिसका विरासत से खाते में सही नाम दर्ज हुआ है तथा प्रतिवादी नंबर ।। विवाहित होने ते विरासती हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है क्योंकि प्रतिवादी नंबर ।। के पिता दलीचंद जी की मृत्यु राज टिनेन्सी एक्ट 1956 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद मृत्यु होने से प्रतिवादीनंबर ।। का विवादित आराजीयात मे बराबर-बराबर का हक अधिकार निहित है तथा प्रतिवादी नंबर ।। का उसके हिस्से पर आज तक भी कब्जा काश्त चला आ रहा है। कन्हैयालाल की विरासत नंदूबाई व वादी संख्या । के नाम पर किस आधार पर दर्ज हुई यह तथ्य वादीगण स्वंय साबित करें। तथा प्रतिवादीनंबर 1, 2 ने मुझ प्रतिवादी संख्या ।। से धोखा कर बिना प्रतिफल बिना बताये धोखे से तारीख 11.8.07 को प्रतिवादी सं० ।। के हिस्से का फर्जी कूटरचित रजिस्टर्ड रिलिज डीड हक-त्याग करा लिया व खाता प्रतिवादी नंबर । ने उसके

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नाम पर दर्ज करा लिया तथा प्रतिवादी नंबर । ने उसका समस्त हिस्ता प्रतिवादी नंबर 2 के हक मे बिना प्रतिफल लिये दिनांक 8.10.2007 को रजिस्टर्ड बेहनामे के जरिये दर्ज करा लिया। जिस बारे में मुझ प्रतिवादीनंबर ।। को उक्त धोखा पुर्ण हक-त्याग कराने का पता लगते ही मुझ प्रतिवादी नंबर ।। ने तारीख 8.8.2008 को रजिस्टर्ड हक-त्याग तारीख 11/10/07 को शुन्य, प्रभावहीन मान निरस्त कराने हेतु श्री सिविल जज क ख प्रथमवर्ग चितौडगढ़ के यहा प्रतिवादी नंबर 1, 2 के विरुद्ध मि नंबर 83/2008 सीओ से दिवानी दावा पेश कर चैलेंज कर दियाए जो वाद व टी आई पत्रावली विचाराधीन होकर स्थान आदेश प्रभावी है व पेशी तारीख 28.3.2009 की तनकीहात एवं बहस हेतु नियत है। जिससे प्रतिवादी नंबर 1, 2 द्वारा मुझ प्रतिवादी नंबर ।। के हिस्से का धोखे से हक-त्याग करा खाता प्रतिवादी नंबर 1 के नाम दर्ज हुआ ऐसी खाते की एंट्री मुझ प्रतिवादी नंबर ।। के हक, अधिकारों के मुकाबले मे शुन्य, प्रभावहीन मान खाता इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी नं ।। का विवाहित होने मात्र ते विरासती हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है तथा वादीगण घोषणात्मक डिक्री पाने का हकदार नहीं है। प्रतिवादी नंबर ।। ने प्रतिवादी नंबर । के पक्ष मे मर्जी से हक-त्याग नहीं किया। बल्कि प्रतिवादी नंबर 1, 2 ने प्रतिवादी नंबर ।। को बिना बताये धोखे से व अज्ञानता वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर बिना बताये हक-त्याग कराया गया है जिसकों सक्षम सिविल कोर्ट मे चैलेंज कर दिया है जिससे प्रतिवादी नंबर ।। का हिस्सा निरस्त नहीं कराया जा सकता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी नंबर । जीवित होने से वादीगण को दावा लाने का एवं बंटवाडा कराने का अधिकार भी नहीं है। वादीगण ने दिनांक 17.8.2008 के बेहनामे को आधार मान बिनायदावा होना बताया है जबकि बेहनामे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार न्यायालय आप नहीं होकर सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है।

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(रिंकू मेडल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

<u>विशेष-कथन</u>

वाद वर्णित नेतावलगढ़ पाछली की विवादित आराजी नंबर 216 , 217 , 218 , 221 कुल रकबा 2.66 एवं आराजी नंबर 222 , 225 , 226 रब्बा 2.28 हैक्टर प्रतिवादी नंबर ।। के पिता स्व. दलीचंद जी के समय की है जिसमे प्रतिवादी नंबर ।। का विरासत से 1/4 –1/4 हक हिस्सा कब्जा निहित है जिससे प्रतिवादी नंबर ।। उसके 1/4 हिस्से की घोषणा करा खाता अलग-अलग कराने की हकदार है।

विवादित आराजीयात नंबर 222 , 225 , 226 कुल रकबा 2.28 हैक्टर में प्रतिवादी नंबर ।। का 1/4 हिस्सा खाता दर्ज रेकर्ड था जिसे प्रतिवादी नंबर 1 , 2 ने धोखा कर बिना बताये चुपके से तारीख 11.10.2007 को हक-त्याग रजिस्टर्ड करा लिया जिस बारे मे प्रतिवादी नंबर ।। को धोखे का पता लगते ही हक-त्याग को निरस्त कराने का दिवानी दावा मिसल नंबर 83/2008 सिविल जज चितौडगढ़ के यहा प्रतिवादी नं. 1 व 2 के विरुद्ध पेश कर चैलेंज कर रखा है तथा स्थगन जारी है जिससे वादीगण आराजी नंबर 222 , 225 , 226 मे इस वाद मे अनुतोष पाने के हकदार भी नहीं पूर्व मे ही मामला सिविल कोर्ट मे विचाराधीन है। वादीगण ने इस वाद मे रजिस्टर्ड बेहनामा तारीख 26.7.08 एवं तारीख 9.10.07 को आधार मान चैलेज किया है। जबकि दोनों दस्तावेजात रजिस्टर्ड होने से सिविल कोर्ट में निरस्तगी का वाद लाये बिना न्यायालय आप को सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। अन्त मे जवाबदावा मय विशेष-कथन स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा सव्यय खारिज फरमाया जावें।

तथा प्रतिवादी सं० ।। का विवादित आराजीयात मे दलीचंद जी की विरासत से 1/4 हकए हित्सा होने की घोषणा त्मक डिक्री दिलाई जाकर खाते में नाम दर्ज फरमाया जावें एवं अन्य उचित दाद दिलाई जाने का निवेदन किया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 11 के कायम मुकाम करवाए गए। प्रतिवादी 11 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया जो सलग्न पत्रावली है।

वाद पत्र एंव जवाब दावे के आधार पर वाद बिन्दू कायम किए गए । पत्रावली शहादत वादी हेतू नियत की गई । अधिवक्ता वादीगण ने बयान शपथ पत्र ओमप्रकाश व कान्ता के प्रस्तुत किए जो रेकार्ड पर है। मुख्य परीक्षण हेतू ग्वाह वादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी ग्वाह वादी न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही होने से साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतू नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य हेतू पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी बयान शपथ पत्र व ग्वाह प्रतिवादी पेश नही किए गए जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतू नियत की गई।

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष की सुनी गई । अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद ग्रस्त आराजीयात ग्राम नेतावलगढ पाछली के खाता संख्या 135 व 225 मे दर्ज आराजीयात उभय पक्षकारान की सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि आराजीयात होने से वादीगण प्रत्येक का 1/10 हक हिस्सा व घोषित हक हिस्से का बटवाडा करवा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पारित किए जाने की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया ।

इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादी 11/2 व 11/2 ने जवाब दावे मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण जिस रजिर्स्टड दस्तावेज का उल्लेख वाद पत्र मे किया है उसको सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने के उपरान्त वांछित दाद प्राप्त करे इसके साथ उक्त रजिर्स्टड दस्तावेज के सम्बन्ध मे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से वादी का वाद पत्र खारीज फरमाया जावे एंव इसके साथ ही विवादित आराजीयात दलीचंद की विरासत से 1/4 हक हिस्से की घोषणा किए जाने का अनुरोध किया ।

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया । वाद पत्र निम्नानुसार तनकीयात के आधार पर निर्णित किया जाता है।

1. <u>आया वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 02 मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण प्रत्येक 1/10 , प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक 1/10 , प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा खातेदारी की घोषित कराने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।</u>

–जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने उक्त तनकी को साबित कराने हेतू कोई शहादत सबूत पेश नही किए । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 ग्राम नेतावलगढ पाछली एंव अन्य दस्तावेज से यह जाहिर नही होता है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी रही हो।

ऐसा कोई दस्तावेज सलंग्न नही है जिससे ज्ञात हो सके की वाद वर्णित आराजीयात मूल पुरूष दलीचन्द के नाम दर्ज रेकार्ड रही हो। इसके साथ ही वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन मे मौखिक बयान भी लेखबद्ध नही करवाए है। उपरोक्त विवेचना से यह बात स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजीयात के पैतृक व पुश्तैनी होने का कोई प्रमाण वादीगण ने पेश नही किया है। जिससे वादीगण वाद वर्णित आराजीयात मे घोषणा कराने का अधिकारी नही पाया जाता है। अत उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2. <u>आया वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 10 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कराने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।</u>

–जिम्मे वादीगण

तनकी नं 1 के विस्तृत निर्णय से यह बात भलीभाति स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजीयात मे वादीगण के पक्ष मे घोषणा नही की जा सकती है ऐसी सूरत मे वादीगण विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया गया है। उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जा सकती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. <u>आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है</u>

—जिम्मे वादीगण

तनकी नं 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित हो जाने से वाद वर्णित आराजीत मे वादीगण का हिस्सा घोषित नही किया गया है। ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का प्रश्न ही नही उठता है। उक्त तनकी विरूद्ध विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

4. <u>आया वादी द्वारा बताया गया सजरा गलत है । बंशीलाल के पुत्र सुभाष उम्र 27 वर्ष को पक्षकार नही बनाने से वाद चलने योग्य नही है।</u>

—जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पर था। परन्तु प्रतिवादीगण 01 से 03 ने कोई मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किए जिससे जाहिर हो सके की बंशीलाल के पुत्र सुभाष हो और उनको प्रकरण मे पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। उपरोक्त तथ्यो के अनुसार उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी 01 से 03 निर्णित की जाती है।

5. <u>आया धारा 80 के नोटिस के अभाव मे वाद चलने योग्य नही है।</u>

—जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के उपर था। परन्तु यह बात स्पष्ट करना उचित रहेगा कि उक्त आपत्ति को उठाने का अधिकार स्वंय प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार चित्तौडगढ को है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 12 को फार्मल पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है । ऐसी सूरत मे उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 निर्णित की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सह खातेदा

<u>वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार नही होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।</u>

– जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 03

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 पर था। वाद पत्र मे जिस रजिस्र्टड दस्तावेजात का उल्लेख वादी ने वाद पत्र के अभवचनो मे किया गया है । उन रजिस्र्टड दस्तावेजात की प्रमाणिकता एंव निरस्तीकरण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी सूरत उक्त रजिस्र्टड दस्तावेजात के अस्तित्व मे रहते राजस्व न्यायालय से कोई दाद प्राप्त नही की जा सकती है। वादीगण को चाहिए की वाद पत्र मे जिस रजिस्र्टड दस्तावेज का उल्लेख वाद पत्र के अभिवचनो मे किया है उनको सिविल न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त करवाए तदुपरान्त राजस्व न्यायालय से दाद प्राप्त करे। उक्त तनकी पक्ष प्रतिवादी संख्या 01 से 03 निर्णित की जाती है।

7. <u>आया सिविल न्यायालय (क.ख.) चित्तौडगढ मे प्रकरण 63/2008 विचाराधीन रहते यह वाद चलने योग्य नही है।</u>

–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 11

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 11 पर था। परन्तु प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा कोई शहादत सबूत पेश नही किए गए। पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमे सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है । इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा मौखिक साक्ष्य भी लेखबद्ध नही करवाए गए जिससे जाहिर हो सके कि प्रकरण संख्या 63/2008 वाद सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है। ऐसी सूरत मे उक्त तनकी पर विचार करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ / जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार

अनुतोष :-

वादीगण अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने मे विफल रहने से वादी ग्राम नेतावलगढ पाछली के खतौनी संख्या 135 व 225 मे वर्णित आराजीयात मे खातेदारी घोषणा , बटवांडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है।

अतः वादीगण का वाद बाबत् ग्राम नेतावलगढ पाछली के खतौनी संख्या 135 व 225 मे वर्णित आराजीयात मे खातेदारी घोषणा , बटवांडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का शहादत सबूत के अभाव मे प्रमाणित नही होने से तथा क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. ओमप्रकाश पिता मदनलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
2. श्रीमती कान्ता पिता मदनलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पिता दलीचन्द ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
2. किशन लाल पिता मदन लाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
1. श्रीमती सुमित्रा पुत्री मदनलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
2. रमेश पिता बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
3. शांतिलाल पिता बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
4. सुधीर पिता बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
5. सीता देवी पुत्री बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
6. सुशीला पुत्री बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
7. सुमित्रा पुत्री बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
8. लीला देवी पत्नी बंशीलाल ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ
9. धापु बाई पुत्री दलीचन्द ब्राहमण नि.किला चित्तौडगढ मृतक के बजाए :—
   11/1. श्यामलाल पिता मोहनलाल शर्मा नि.आकाशवाणी रोड, गांधीनगर
   11/2. कन्हैयालाल पिता मोहनलाल शर्मा नि.आकशवाणी रोड, गांधीनगर
10. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ
11. श्री सरकार जरिये उप पंजीयक महोदय चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—53—188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 190/2008 (2008/00025)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण की ओर से वकील श्री छोगालाल जाट एंव प्रतिवादी संख्या 11/1 , 11/2 की ओर से अधिवक्ता खुमराज कुमावत की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादीगण का वाद बाबत् ग्राम नेतावलगढ पाछली के खतौनी संख्या 135 व 225 मे वर्णित आराजीयात मे खातेदारी घोषणा , बटवांडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का शहादत सबूत के अभाव मे प्रमाणित नही होने से तथा क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारीज किया जाता है।

यह आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (प्रथम)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़